रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3–उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2549] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2013/कार्तिक 13, 1935
No. 2549] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2013/KARTIKA 13, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2013

का.आ. 3321(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) जनवरी से अगस्त, 2013 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 127 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 2 सुरक्षा कार्मिकों सहित 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं;

(iv) असम तथा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की मौजूदगी देखी गई है और इसलिए असम के गोलाघाट, धेमाजी, लखीमपुर तथा तिनसुकिया जिलों और अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले के नामसाई क्षेत्र में उनकी गतिविधियों की सूचना दी गई थी;

(v) अरुणाचल प्रदेश में, उल्फा (स्वतंत्र) के काडर म्यांमार, जहां इस गुट के आधार शिविर स्थित हैं, से घुसपैठ करके आने और वापिस जाने के लिए लोहित, चांगलांग तथा तीरप जिलों का प्रयोग करते हैं। यह गुट असम में विद्रोह-रोधी कार्रवाई से बचकर भाग निकलने के लिए भी अस्थाई ट्रांजिट कैम्पों के लिए व्यापक रूप से इन क्षेत्रों का इस्तेमाल करता है;

(vi) गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) तथा अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल जो ए एन वी सी (बी) से अलग हुआ एक गुट है, जैसे भूमिगत गुटों द्वारा मेघालय के साथ लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी एन एल ए द्वारा विशेषकर वेस्ट खासी हिल्स जिले में, उल्फा (आई) को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित पनाह, ठिकाना बनाने में मदद किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

अतः, अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत 3.11.2013 के बाद एक वर्ष तक 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2013

S.O. 3321(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas a further review of the Law and order situation in Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following :—

(i) The Law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits;

(ii) During the period January to August 2013, the Under Ground Outfits were involved in 127 incidents of violence in Assam which resulted in killing of 11 persons including 2 security personnel;

(iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people;

(iv) Maoist presence in Assam and border areas of Arunachal Pradesh have been noticed and hence their activities were noticed in Golaghat, Dhemaji, Lakhimpur and Tinsukia districts of Assam and Namsai area of Lohit district in Arunachal Pradesh;

(v) In Arunachal Pradesh, the ULFA (Independent) cadres use Lohit, Changlang and Tirap districts for infiltration and exfiltration to Mayanmar where the base camps of the outfit are located. The outfit uses these areas extensively for temporary transit camps while on move as also to escape counter insurgency operations in Assam.

(vi) The bordering areas of Assam with Meghalaya are being used by UG outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Achik National Volunteer Council a breakaway faction of ANVC(B). The GNLA, particularly in West Khasi Hills District, is reported to be facilitating the ULFA (I) in establishing safe shelter, base in the bordering areas.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms. belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) up to one year beyond 3.11.2013, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-V]
SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.